

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत धीरोडा

वाद संख्या

अनुवान

1. किलाण पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी धीरोडा तहसील राजगढ़प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार राजगढ़ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान कास्तकारी अधि०
उपस्थित—श्री मानसिंह गुर्जर एडवोकेट –प्रार्थी
नायब तहसीलदार टहला



29.05.2018 आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 778/0.31 हैक० वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ़ में स्थित है जिसके प्रार्थी अन्य सहखातेदारान के साथ कास्तकार है। उक्त आराजी बाहमी बटवारे के अनुसार प्रार्थी के हिस्से की आराजी है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी की मौके पर सीमाकन नहीं होने के कारण तहसीलदार राजगढ़ कें यहा पैमाईश का आवेदन किया। जिस पर तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पटवारी हल्का को आदेश दिये और पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.05.2018 को मौके पर पहुंचकर मौतबिरान की उपस्थिति में आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान कराया गया। मौका रिपोर्ट संल०6न है।

यह है कि प्रार्थी अब उक्त आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से पैमाईश दिनांक 29.05.2016 के अनुसार पत्थरगढ़ी कराना चाहता है इसके लिए प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पेश किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर कैम्प कोर्ट धीरोडा पर उपस्थित पटवारी हल्का व नायबतहसीलदार टहला से रिपोर्ट प्राप्त कि गई। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पर पैमाईश होकर पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपति नहीं है। रिपोर्ट पेश की गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी सम्वंत 2072-75 खाता संख्या 30 वाके ग्राम धीरोडा के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल आराजी खसरा संख्या 778/0.31 हैक० वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ़ के खातेदार प्रार्थी हिस्सेदार दर्ज है। प्रार्थी का यह तथ्य भी संलग्न रिपोर्ट दिनांक 29.05.2016 से साबित है कि उनके द्वारा उक्त आराजी की पूर्व में भी पैमाईश कराई गयी है। चूकिं प्रार्थी आराजी के खातेदार साबित है तथा अप्रार्थी नायबदार टहला को भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिज स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान कास्तकारी अधि० हाल आराजी खसरा न० 778/0.31 हैक० वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ़ स्वीकार किया जाता है। नायब तहसीलदार टहला को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वो पक्षकारान की उपस्थिति में आराजी की पुनः पैमाईश कर प्रार्थी के खर्चे पर अपनी उपस्थिति में आराजी की पत्थरगढ़ी कराने की कार्यावाही करें। निर्णय प्रति नायब तहसीलदार टहला को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट धीरोडा